न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 92/18 निर्णय दिनांकः—16.10.2018

1. तरूण खत्री पुत्र तिरथदास खत्री निवासी सादूल कॉलोनी तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 07—09—2017
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितिः—

1. श्री बृजेश मदान, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 07—09—2017 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील खाजुवाला में बतौर विशेष आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूत प्रस्तुत करते हुए चक 25 बीएलडी 'बी' के मुरब्बा नम्बर 177/58 में 25 बीघा भूमि आवंटन हेतु इस्तदुआ की गई थी।

अपीलांट द्वारा भूमि आवंटन हेतु वांछित तमाम सबूत अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये थे जिससे साबित था कि प्रार्थी/अपीलांट बीकानेर का मूल निवासी व सद्भाविक कृषक है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा बिना जॉच किये अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट द्वारा मूल निवासी, भूमि तस्दीक का प्रमाण पत्र एवं सद्भाविक कृषक प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है अतः अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल कारित की गई है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट ग्राम नेतेवाला जिला श्रीगंगानगर का निवासी है अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07—09—2017 के विरूद्व अपील दिनांक 13—03—18 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई

संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 07—09—2017 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 13—03—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है।

(3) इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष श्रेणी मेंभूमि आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए चक 25 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 177/58 की 25 बीघा भूमि के आवंटन की मांग की गई। जिस पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 07—09—2017 को अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, भूमि तस्दीक का प्रमाण पत्र व सद्भावी कृषक का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने से अपीलांट का प्रार्थना पत्र अपूर्ण मानते हुए खारिज किया गया है।

(4) अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जो स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होना परिलक्षित होता है। इसी संदर्भ में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत आवंटन प्रार्थना पत्र व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियॉ प्रस्तुत करते हुए न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया कि अपीलांट द्वारा तत्समय ही अपने प्रार्थना पत्र के साथ वांछित सबूत प्रस्तुत कर दिये गये थे। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया जाना परिलक्षित होता है।

ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि वे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जॉच करते हुए व वांछित सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करते। अदालत मातहत द्वारा बिना अपीलांट को नोटिस जारी किये व बिना सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जबकि अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष मूल निवासी प्रमाण पत्र, भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र व सद्भावी कृषक होने का प्रमाण पत्र बतौर सबूत प्रस्तुत किये गये है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत के कथन व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अपने आप में विरोधाभासी है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश 07—09—2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने व सुनवाई का अवसर प्रदान करते पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर